(1)

क्रमांक सं0–59
दिनांक 15/1/2022
फाइल सं0–15 (ii)

आदेश –

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 1.750 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.500 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/52/2021/एफ0सी0 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/52/2021/एफ0सी0 दिनांक 26.08.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 1.750 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नौली रा0उ0नि0 क्षेत्र मसोली तहसील पोखरी की ख0खा0सं0–4 के खसरा सं0–201 रकबा 0.501 है0 भूमि मध्ये 0.396 है0, खसरा सं0–202 रकबा 0.702 है0 भूमि मध्ये 0.584 है0, खसरा सं0–203 रकबा 1.404 है0 भूमि मध्ये 1.110 है0, खसरा सं0–206 रकबा 0.501 है0 भूमि मध्ये 0.410 है0 एवं खसरा सं0–207 रकबा 1.003 है0 भूमि मध्ये 1.000 है0 अर्थात कुल 3.500 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1886/छब्बीस–10 (2021–2022) गोपेश्वर: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,

श्री अंकित पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक को इस आदेश की प्रति से अनुपालन आख्या पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
30/03/2022

वनभूमि सहा0/AE II

पत्रांक 151/15 (ii) दिनांक 15/01/2022
श्री सतीश नेगी, अमीन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ex. Eng.
29/12/2021

—२ (खाई) सेटेलमेन्ट—१६६३—१६२३००

खतौनी (इन्तखिब) ग्राम पट्टी परगना जिला

(बंदोबस्त) का नंबर	इन्तखिब (खतौनी) खाता को क्र० सं०	खातेदार या काबिज का नाम, वल्दियत तथा निवास-स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	चौत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तौक	गैर मजरूआ शामिल	मालगुजारी (जिस पर लगान निर्धारित है)	सेस	धौकदारी या मालगुजारी	तलांव	उपराव अव्वल	उपराव दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विस्तार कानूनी	विस्तार गैर कानूनी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
		ऊसर		225	201=	1.024													
				230	91	0.020													
				239	911=	0.033													
				228	9211=	0.253													
				225	91=	0.028													
				240	911-	0.036													
				241	[illegible]	0.985													
				[illegible]	[illegible]	0.175													
					111	0.015													
				234	[illegible]	0.042													
				[illegible]	[illegible]	0.018													
				[illegible]	[illegible]	0.162													
				259	822	0.842													
				[illegible]	[illegible]	0.026													
				[illegible]	[illegible]	0.022													
				[illegible]	[illegible]	0.160													
				[illegible]	[illegible]	0.029													
				[illegible]	[illegible]	0.049													
				[illegible]	[illegible]	0.008													
				[illegible]	[illegible]	0.120													
				[illegible]	[illegible]	0.005													
				[illegible]	[illegible]	0.025													
				[illegible]	[illegible]	0.029													
				[illegible]	[illegible]	0.004													

आदेश

[illegible] चमोली के [illegible] जोशीमठ में [illegible] से तिरसला सीमा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित [illegible] वाली 1.751 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित 3.500 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतएव उप महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० [illegible] दिनांक [illegible] की शर्त सं० 3 (क) के [illegible] एवं उपजिलाधिकारी जोशीमठ की संस्तुति आख्या के [illegible] पर प्रस्तावित जनपद चमोली के [illegible] को [illegible] से तिरसला सीमा मोटर मार्ग के [illegible] 1.751 है० वन भूमि से प्रभावित होने वाली [illegible] भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में [illegible] ग्राम [illegible] तहसील जोशीमठ की [illegible] खसरा नं० - 201 रकबा 0.501 है० [illegible] खसरा नं० - 212 रकबा 0.702 है० [illegible] 0.376 है०, खसरा सं० 205 रकबा 1.[illegible] है० [illegible] 0.584 है० [illegible] 3.500 है० भूमि [illegible] 1.000 है० [illegible] श्रेणी - 9 (3) [illegible] भूमि [illegible] के रूप में दर्ज [illegible] को वन भूमि के [illegible] नामान्तरण / हस्तान्तरण [illegible] शासनादेश सं० - 2173 / XVIII (1) / 2012 - 18 (20) / 2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार [illegible] किया गया।

[illegible]
उपजिलाधिकारी
चमोली

साफ खतौनी (मुन्तखिब)   ग्राम ——— पट्टी ——— नियम ४४ ——— तहसील ——— जिला ———

फांट (खेवट) खाता नंबर	मुन्तखिब (खतौनी) खाता की क्र० सं०	खतेदार कविज का नाम, पितृनाम तथा निवास-स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तौक	गैर मालगुजारी शामिल जोत	मालगुजारी अथवा लगान (यदि सिरतान हो)	सेस	मालिकाना	थोकदारी या मालगुजारी	तलांव	उपराव अब्वल	उपराव दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विस्तार कानूनी	विस्तार गैर कानूनी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
						0.0?95													
		क्रमशः		१६१	६॥।	0.095													
				१९२	३१	0.085													
				१९४	४॥=	0.094													
				१९८	१६	0.260													
				१९९	॥=	0.013													
				१९५	४३।-	0.926													
				१९६	२४॥=	0.594													
				१९७	२५।-	0.506													
				१९५	१२=	9.262													
				१९६	१२५	2.500													
				१९७	१५.८	3000													
				[illegible]	५०	1000													
				१९८	४९१	1145													
				206	५6	1000													
		प्रस्तावित		209	२५	0.500													
				202	३५	0.700													
				203	50	1400													
				204	८२	1.640													
				205	९८	1.560													
				206	२५														
		प्रस्तावित		209	२०	1.000													
				208	५०	1560													
				20[illegible]		1000													
				210	५9	1020													
				209	६२५=	8.53													
				[illegible]	६४१५=	1.238													

आदेश

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में गैंता-भालकोटी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिह्नित 3.780 है० सिविल सोयम वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तानान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उपमहानिरीक्षक वन (के०) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० एफ० सी०/2363 दिनांक -08 बी/यू०सी०पी०/06/138/2020/ एवं उपजिलाधिकारी 25.02.2021 की शर्त सं०-3(क) के अनुसार प्रस्तावित जनपद पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर गैंता-भालकोटी-सेरा मोटर चमोली के विकासखण्ड पोखरी में प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने के एवज में ग्राम नौली के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम नौली रा० उ० नि० क्षेत्र मसोली, तहसील पोखरी की खाता सं० 04 के खसरा नं०-204 रकबा 1.654 है० मध्ये 1.304 है०, खसरा सं० -205 रकबा 1.564 है० भूमि मध्ये 1.232 है० एवं खसरा नं० 208 रकबा 1.564 है० मध्ये 1.244 है० अर्थात कुल 3.780 है० भूमि जो नॉन जेड ए श्रेणी-9(3)ङ बंजर भूमि के रूप में दर्ज भूमि अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तानान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० -2173/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

[illegible] किया गया

पटवारी